EXECUTIVE

INTRODUCTION

Legislature, executive and judiciary are the three organs of government. Together, they perform the functions of the government, maintain law and order and look after the welfare of the people. The Constitution ensures that they work in coordination with each other and maintain a balance among themselves.

परिचय

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के तीन अंग हैं। ये तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं तथा कानून–व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि ये सभी एक–दूसरे से तालमेल बना कर काम करें और आपस में संतुलन बनाए रखें।

EXECUTIVE

After reading this chapter, you will be able to

- **make a distinction between the parliamentary and the presidential executive;**
- **understand the constitutional position of the President of India;**
- **know the composition and functioning of the Council of Ministers and the importance of the Prime Minister; and**
- **understand the importance and functioning of the administrative machinery.**

EXECUTIVE

- संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका में अंतर कर सकेगे।
- भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझेंगे ।
- मंत्रिपरिषद् की संरचना और कार्यों के बारे में जान सकेगे और
- प्रशासनिक मशीनरी के महत्त्व और कार्यों के बारे में जानेंगे।

EXECUTIVE

❖WHAT IS AN EXECUTIVE?

❖In any organisation, some office holder has to take decisions and implement those decisions. We call this activity administration or management. But administration requires a body at the top that will take policy decisions or the big decisions and supervise and coordinate the routine administrative functioning. You may have heard about the executives of big companies, banks or industrial units. Every formal group has a body of those who function as the chief administrators or the executives of that organisation.

EXECUTIVE

❖कार्यपालिका क्या है?

❖किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू करना पड़ता है। हम इस क्रिया को प्रशासन या प्रबंधन कहते हैं। लेकिन प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े या नीतिगत निर्णय ले सके और दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देख–रेख तथा उनमें तालमेल कर सके। ऐसे हर संगठन में कुछ लोगों का एक समूह होता है। ये लोग उस संगठन के मुख्य प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में काम करते हैं।

EXECUTIVE

❖The word executive means a body of persons that looks after the implementation of rules and regulations in actual practice. In the case of government also, one body may take policy decisions and decide about rules and regulations, while the other one would be in charge of implementing those rules. The organ of government that primarily looks after the function of implementation and administration is called the executive

❖कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे–कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं।

सरकार के मामले में भी, एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है दूसरी उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। सरकार का वह अंग जो इन नियमों–कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है।

EXECUTIVE

- The executive branch is not just about presidents, prime ministers and ministers. It also extends to the administrative machinery (civil servants). While the heads of government and their ministers, saddled with the overall responsibility of government policy, are together known as the political executive, those responsible for day to day administration are called the permanent executive

- कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्राी या मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक भी आत है । सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं । लेकिन जो लोग रोज – रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं।

EXECUTIVE

- **WHAT ARE THE DIFFERENT TYPES OF EXECUTIVE?**

- कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है?

EXECUTIVE

- **In a presidential system, the president is the Head of state as well as head of government. In this system the office of president is very powerful, both in theory and practice. Countries with such a system include the United States, Brazil and most nations in Latin America.**

- अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्रीा सरकार का प्रधान होता है। अधिकतर

EXECUTIVE

कार्यपालिका के प्रकार

सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली

संसदीय

सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं।

वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है।

वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है।

देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है: राजा-संवैधानिक

राजा → संवैधानिक राजतंत्र

राष्ट्रपति → संसदीय गणतंत्र

संवैधानिक राजतंत्र, संसदीय गणतंत्र → औपचारिक शासन प्रमुख

अर्ध-अध्यक्षात्मक

राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है।

प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है।

दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है।

प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद् विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है।

एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली

अध्यक्षात्मक

राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है।

वही सरकार का भी प्रमुख होता है।

राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है।

वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता।

Types of Executive

Systems based on the principles of collective leadership

Parliamentary

Head of the government is usually known as Prime Minister.

He is the leader of the majority party in Legislature.

He is accountable to the legislature.

The head of the state may be

Monarch → **Constitutional Monarchy**

President → **Parliamentary Republic**

Constitutional Monarchy, **Parliamentary Republic** → **Ceremonial Executive**

Semi Presidential system

Has the President as head of the state

Has a prime minister as head of the government

PM and his Council are responsible to legislature

Systems based on individual leadership

Presidential

President is Head of the state.

He is also the head of the Government.

The President is usually directly elected by the people.

He is not accountable to legislature

EXECUTIVE

- In a parliamentary system, the prime minister is the head of government. Most parliamentary systems have a president or a monarch who is the nominal Head of state. In such a system, the role of president or monarch is primarily ceremonial and prime minister along with the cabinet wields effective power. Countries with such system include Germany, Italy, Japan, United Kingdom as well as Portugal. A semi-presidential system has both a president and a prime minister but unlike the parliamentary system the president may possess significant day-to-day powers. In this system, it is possible that sometimes the president and the prime minister may belong to the same party and at times they may belong to two different parties and thus, would be opposed to each other. Countries with such a system include France, Russia, Sri Lanka, etc.

EXECUTIVE

❖संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का औपचारिक या नाम मात्रा का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है और प्रधानमंत्रीा तथा मंत्रिामंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है। जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है। अर्द्ध – अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रीा दोनों होते हैं लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। इस व्यवस्था में, कभी–कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रीा दोनों ही एक दल के हो सकते हैं, लेकिन जब कभी वे दो अलग–अलग दलों के होते हैं तो उनमें आपस में विरोध हो सकता है। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है।

EXECUTIVE

❖ PARLIAMENTARY EXECUTIVE IN INDIA

❖ **In the parliamentary form there are many mechanisms that ensure that the executive will be answerable to and controlled by the legislature or people's representatives. So the Constitution adopted the parliamentary system of executive for the governments both at the national and State levels. According to this system, there is a President who is the formal Head of the state of India and the Prime Ministerand the Council of Ministers, which run the government at the national level. At the State level, the executive comprises the Governor and the Chief Minister and Council of Ministers. The Constitution of India vests the executive power of the Union formally in the President.**

EXECUTIVE

❖भारत में संसदीय कार्यपालिका

❖संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएँ हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका, विधयिका या जनता वेफ प्रतिनिधियों वेफ प्रति उत्तरदायी होगी और उनसे नियंत्रित भी। इसलिए, संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया।

इस व्यवस्था वेफ अंतर्गत राष्ट्रपति, भारत में राज्य का औपचारिक प्रधन होते हैं तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं।

EXECUTIVE

- In reality, the President exercises these powers through the Council of Ministers headed by the Prime Minister. The President is elected for a period of five years. But there is no direct election by the people for the office of President. The President is elected indirectly. This means that the president is elected not by the ordinary citizens but by the elected MLAs and MPs. This election takes place in accordance with the principle of proportional representation with single transferable vote. The President can be removed from office only by Parliament by following the procedure for impeachment.

EXECUTIVE

राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रि परिषद् मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई हैं। पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद् के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है।

EXECUTIVE

- **Power and position of President**
- राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति

EXECUTIVE

➢Discretionary Powers of the President

➢ **Constitutionally, the President has a right to be informed of all important matters and deliberations of the Council of Ministers. The Prime Minister is obliged to furnish all the information that the President may call for. The President often writes to the Prime Minister and expresses his views on matters confronting the country.**

➢राष्ट्रपति के विशेषाधिकार

➢संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्त्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद् की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का यह कर्त्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा माँगी गई सभी सूचनाएँ उसे दे। राष्ट्रपति प्रायः प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है।

- **Besides this, there are at least three situations where the President can exercise the powers using his or her own discretion. In the first place, we have already noted that the President can send back the advice given by the Council of Ministers and ask the Council to reconsider the decision. In doing this, the President acts on his (or her) own discretion. When the President thinks that the advice has certain flaws or legal lacunae, or that it is not in the best interests of the country, the President can ask the Council to reconsider the decision. Although, the Council can still send back the same advice and the President would then be bound by that advice, such a request by the President to reconsider the decision, would naturally carry a lot of weight. So, this is one way in which the president can act in his own discretion.**

- इसके अतिरिक्त, कम से कम तीन अन्य अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करता है। प्रथम, जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिापरिषद् की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियाँ हैं या फैसला देश के हित में नहीं है, तो वह मंत्रिपरिषद् से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। यद्यपि मंत्रिपरिषद् पुनर्विचार के बाद भी उसे वही सलाह दुबारा दे सकती है और तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य भी होगा, तथापि राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार का आग्रह अपने आप में काफी मायने रखता है। अतः यह एक तरीका है जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है।

EXECUTIVE

- **Secondly, the President also has veto power by which he can withhold or refuse to give assent to Bills (other than Money Bill) passed by the Parliament. Every bill passed by the Parliament goes to the President for his assent before it becomes a law. The President can send the bill back to the Parliament asking it to reconsider the**

EXECUTIVE

- दूसरे, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति (निषेधाधिकार) होती है जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों (धन विधेयकों को छोड़ कर) पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है

EXECUTIVE

- **bill. This ‘veto’ power is limited because, if the Parliament passes the same bill again and sends it back to the President, then, the President has to give assent to that bill. However, there is no mention in the Constitution about the time limit within which the President must send the bill back for reconsideration. This means that the President can just keep the bill pending with him without any time limit. This gives the President an informal power to use the veto in a very effective manner. This is sometimes referred to as ‘pocket veto’**

- और उसे उस पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। वीटो की यह शक्ति सीमित है क्योंकि संसद उसी विधेयक को दुबारा पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास भेजे, तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके अंदर ही उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकता है। इससे राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से, अपने वीटो को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है। इसे कई बार 'पॉवेफट वीटो' भी कहा जाता है।

EXECUTIVE

- **Then, the third kind of discretion arises more out of political circumstances. Formally, the President appoints the Prime Minister. Normally, in the parliamentary system, a leader who has the support of the majority in the Lok Sabha would be appointed as Prime Minister and the question of discretion would not arise. But imagine a situation when after an election, no leader has a clear majority in the Lok Sabha. Imagine further that after attempts to forge alliances, two or three leaders are claiming that they have the support of the majority in the house. Now, the President has to decide whom to appoint as the Prime Minister. In such a situation, the President has to use his own discretion in judging who really may have the support of the majority or who can actually form and run the government.**

- तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, इसलिए उसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं। लेकिन उस परिस्थिति की कल्पना करें जिसमें चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो। इसके अतिरिक्त यह भी सोचें कि यदि गठबंधन बनाने के प्रयासों के बाद भी दो या तीन नेता यह दावा करें कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तो क्या होगा? तब राष्ट्रपति को यह निर्णय करना है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर यह निर्णय लेना होता है कि किसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है या कौन सरकार बना सकता है और सरकार चला सकता है।

EXECUTIVE

- For the most part, the President is a formal power holder and a ceremonial head of the nation. You may wonder why then do we need a President? In a parliamentary system, the Council of Ministers is dependent on the support of the majority in the legislature. This also means that the Council of Ministers may be removed at any time and a new Council of Ministers will have to be put in place. Such a situation requires a Head of the state who has a fixed term, who may be empowered to appoint the Prime Minister and who may symbolically represent the entire country. This is exactly the role of the President in ordinary circumstances. Besides, when no party has a clear majority, the President has the additional responsibility of making a choice and appointing the Prime Minister to run the government of the country.

EXECUTIVE

- राष्ट्रपति मुख्यतः एक औपचारिक शक्ति वाला पद है और वह राष्ट्र का अलंकारिक प्रधान है। ऐसे में आप पूछ सकते हैं कि तब हमें राष्ट्रपति की क्या आवश्यकता है? संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद् विधायिका में बहुमत के समर्थन पर निर्भर होती है। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद् को कभी भी हटाया जा सकता है और तब उसकी जगह एक नई मंत्रिपरिषद् की नियुक्ति करनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे राष्ट्र–प्रमुख की जरूरत पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जिसके पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति हो और जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति की यही भूमिका है। लेकिन जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तब राष्ट्रपति पर निर्णय लेने और देश की सरकार को चलाने के लिए प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है।

EXECUTIVE

➢ PRIME MINISTER AND COUNCIL OF MINISTERS

➢ **We have already seen earlier in this chapter that the President exercises his powers only on the advice of the Council of Ministers. The Council of Ministers is headed by the Prime Minister. Therefore, as head of the Council of Ministers, the Prime Minister becomes the most important functionary of the government in our country.**

In the parliamentary form of executive, it is essential that the Prime Minister has the support of the majority in the Lok Sabha. This support by the majority also makes the Prime Minister very powerful. The moment this support of the majority is lost, the Prime Minister loses the office.

EXECUTIVE

➢प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद्

➢इस अध्याय में आप पहले पढ चुके हैं कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद् की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद् का प्रधान है। अतः मंत्रिपरिषद् के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी हो जाता है।

संसदीय शासन में यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। बहुमत का यह समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बना देता है। जैसे ही प्रधनमंत्री बहुमत का समर्थन खो देता है, वह अपना पद भी खो देता है।

EXECUTIVE

- **The Prime Minister then decides who will be the ministers in the Council of Ministers. The Prime Minister allocates ranks and portfolios to the ministers. Depending upon the seniority and political importance, the ministers are given the ranks of cabinet minister, minister of State or deputy minister. In the same manner, Chief Ministers of the States choose ministers from their own party or coalition. The Prime Minister and all the ministers have to be members of the Parliament. If someone becomes a minister or Prime Ministerwithout being an MP, such a person has to get elected to the Parliament within six months.**

EXECUTIVE

- प्रधानमंत्री तय करता है कि उसकी मंत्रिापरिषद् में कौन लोग मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों में पद–स्तर और मंत्रालयों का आबंटन करता है। मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्त्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्यमंत्री या उपमंत्री बनाया जाता है। इसी प्रकार, राज्यों में मुख्यमंत्री अपने दल या सहयोगी दलों से मंत्री चुनते हैं। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे छः महीने के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है।

EXECUTIVE

➢In India, the Prime Minister enjoys a pre-eminent place in the government. The Council of Ministers cannot exist without the Prime Minister. The Council comes into existence only after the Prime Minister has taken the oath of office. The death or resignation of the Prime Minister automatically brings about the dissolution of the Council of Ministers but the demise, dismissal or resignation of a minister only creates a ministerial vacancy. The Prime Minister acts as a link between the Council of Ministers on the one hand and the President as well as the Parliament on the other. It is this role of the Prime Minister which led Pt. Nehru to describe him as 'the linchpin of Government'. It is also the constitutional obligation of the Prime Minister to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation. The Prime Minister is involved in all crucial decisions of the government and decides on the policies of the government. Thus, the power wielded by the Prime Minister flows from various sources: control over the Council of Ministers, leadership of the Lok Sabha, command over the bureaucratic machine, access to media, projection of personalities during elections, projection as national leader during international summitry as well as foreign visits.

EXECUTIVE

- भारत में, प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद् का कोई अस्तित्त्व नहीं है। मंत्रिपरिषद् तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद् ही भंग हो जाती है जबकि किसी मंत्री की मृत्यु, हटाए जाने या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद् में केवल एक स्थान खाली होता है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद् तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करता है। इसी भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी। प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व भी है कि वह सभी संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्त्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। इस प्रकार, प्रधानमंत्री की शक्तियों के अनेक स्रोत हैं, जैसे – मंत्रिपरिषद् पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, अधिकारी जमात पर आधिपत्य, मीडिया तक पहुँच, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार, तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि आदि।

EXECUTIVE

- 1989, we have witnessed many coalition governments in India. Many of these governments could not remain in power for the full term of the Lok Sabha. They were either removed or they resigned due to loss of support of the majority. These developments have affected the working of the parliamentary executive. In the first place, these developments have resulted in a growing discretionary role of the President in the selection of Prime Ministers. Secondly, the coalitional nature of Indian politics in this period has necessitated much more consultation between political partners, leading to erosion of prime ministerial authority. Thirdly, it has also brought restrictions on various prerogatives of the Prime Minister like choosing the ministers and deciding their ranks and portfolios. Fourthly, even the policies and programmes of the government cannot be decided by the Prime Minister alone.

EXECUTIVE

- 1989 से हमने भारत में अनेक गठबंधन सरकारों को देखा है। इनमें से कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में न रह सकीं। बहुमत समाप्त होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया या वे हटा दी गईं। इन घटनाओं से संसदीय शासन का काम–काज प्रभावित हुआ है।

  इस सिलसिले में पहली बात तो यह है कि इन घटनाओं से प्रधनमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की भूमिका ....

  दूसरे, इस अवधि में गठबंधन राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगियों में परामर्श की प्रवृत्ति बातो के बाद ही नीतियाँ बन पाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में प्रधनमंत्री को एक नेता से अधिक एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ती है।